दस रुपये TEN RUPEES

111

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–छतरपुर R 2786-III/14

श्रीमती मुमताज बेगम वेवा नूर मुहम्मद निवासी बजरिया मौहल्ला राजनगर तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) -- आवेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 28.8.14 को प्रस्तुत

विरूद्ध

1. मुहम्मद सलीम पुत्र श्री शेख इब्राहीम निवासी बजरिया मौहल्ला राजनगर तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

2. भैयालाल चमार पुत्र श्री दीना चमार निवासी ग्राम अचनार तहसील राजनगर जिला – छतरपुर (म.प्र.) -- अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 34/अ–21/2013–14/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12.08.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है कि –

मामले के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, आवेदिका द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.07.1997 से ग्राम अचनार में स्थित आराजी खसरा नं. 605/1/1 रकवा 2.833 हैक्ट्यर अनावदेक क्रमांक 2 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। चूंकि यह भूमि विक्रय पत्र वर्ष 1997 के 10 वर्ष पूर्व से राजस्व अभिलेखों मे, खसरा पंचशाला में अनावेदक क्रमांक 2 भैयालाल पुत्र दीना चमार के नाम चली आ रही थी। उक्त विक्रय पत्र एवं खसरा पंचशाला के फोटो प्रतियाँ माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
2. यहकि, उपरोक्त विवादित भूमि की ऋण पुस्तिका अधिकार अभिलेख में यह टीप अंकित है कि उक्त भूमि वर्तमान अभिलेख के मुताबिक भूमि स्वामी स्वत्व की है। शासकीय पट्टे की नहीं है, इस प्रकार आवेदिका द्वारा राजस्व अभिलेखों की विधिवत् जॉच कर उक्त भूमि का विक्रय पत्र कराया गया था। इसके पश्चात्

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2786-तीन/2014 जिला छतरपुर मुमताज विरूद्ध मुहम्मद सलीम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 34/अ-21/2013-14/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12-08-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 28-08-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित	

किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 1.19
सदस्य